

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9
संख्या-यू0ओ0-88 / पांच-9-2018-9(2) / 18
लखनऊ : दिनांक 9 फरवरी, 2018

अधिसूचना


गर्भ धारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (पी0सी0पी0एन0डी0टी0) के प्राविधानो को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु महिला कल्याण विभाग में राजस्थान सरकार की भोंति गठित "पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सेल" में सचिव, परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन (पदेन) को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव

संख्या-यू0ओ0-88(1) / पांच-9-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 3- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
- 6- निजी सचिव-मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
- 7- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0।
- 9- महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0।
- 10- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
- 11- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उ0प्र0।
- 12- प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज उ0प्र0।
- 13- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
- 14- कम्प्यूटर सेल प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशि कान्त शुक्ल)
अनु सचिव।